

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.04.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 5234 का उत्तर

जनहित में चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन का विकास

5234. श्रीमती जोबा माझी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का पोर्टरखोली और बाजार से आने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धुलाई स्थल को पुनःस्थापित करने, बुकिंग काउंटर को पुनः खोलने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का चक्रधरपुर रेलवे भर्ती बोर्ड को फिर से स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का चक्रधरपुर स्टेशन के सामने और आरपीएफ बैरकों के निकट पट्टाधारी दुकानदारों को बेदखल करने से पूर्व उनके सुव्यवस्थित पुनर्वास की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने और चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों को तैनात करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन का जनहित में विकास करने के लिए महात्मा गांधी पार्क का समुचित रख-रखाव तथा चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के निकट बाल उद्यान का सौंदर्यीकरण करने का विचार है;
- (ङ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के पूरा होने की संभावित तारीख क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। इसमें प्रत्येक स्टेशन की आवश्यकता को ध्यान

में रखते हुए स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणबद्ध तरीके से उनका क्रियान्वयन करना शामिल है।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है, जिनमें झारखंड राज्य में चक्रधरपुर स्टेशन सहित 57 रेलवे स्टेशन हैं।

चक्रधरपुर स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए निविदाएं प्रदान कर दी गई हैं और नए पैदल पार पुल, द्वितीय प्रवेश के लिए चाहरदिवारी, प्लेटफॉर्म सं. 2 और 3 का विस्तार, और प्लेटफॉर्म सं.1 की सतह में सुधार संबंधी निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया गया है और द्वितीय प्रवेश द्वार पर स्टेशन भवन के निर्माण, परिसंचरण क्षेत्र में सुधार, पहुंच पथ, जल निकासी कार्य आदि के निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पोर्टरखोली और बाजार से आने वाले यात्रियों के लिए द्वितीय प्रवेश द्वार पर बुकिंग काउंटर उपलब्ध कराने की योजना है।

स्टेशन पुनर्विकास और परिचालनिक आवश्यकताओं के लिए अन्य अवसंरचनात्मक कार्यों हेतु रेल भूमि की आवश्यकता है। चक्रधरपुर स्टेशन के परिसंचरण क्षेत्र में अनुबंध पर आवंटित दुकानों को अनुबंध की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार रेलवे के विकास कार्यों के लिए हटा दिया गया है।

परिचालनिक और रखरखाव आवश्यकताओं के अनुसार वाशिंग पिट की योजना तैयार की जाती है और उनका क्रियान्वयन किया जाता है। वर्तमान में, चक्रधरपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में रेलगाड़ियों के परिचालनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए मौजूदा पिट लाइन सुविधाएं पर्याप्त हैं।

रेलवे भर्ती बोर्ड भारतीय रेल के क्षेत्राधिकार के आधार पर स्थापित किए जाते हैं, न कि राज्यों, क्षेत्रीय रेलों और क्षेत्रों के आधार पर। भारत में विभिन्न समूह 'ग' पदों की भर्ती के लिए 21 रेलवे भर्ती बोर्ड स्थित हैं। चक्रधरपुर को रेलवे भर्ती बोर्ड रांची द्वारा सेवित किया जाता है।

रोगविज्ञानी, संज्ञाहरणविज्ञानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सक, दंत सर्जन, कान, नाक और गला (ईएनटी) सर्जन, त्वचा विशेषज्ञ, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ और जनरल सर्जन जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर पहले से ही मंडल रेल अस्पताल, चक्रधरपुर में तैनात हैं।

"पी" ब्लॉक रेलवे कॉलोनी/चक्रधरपुर स्थित महात्मा गांधी उद्यान और रेलवे स्टेशन के पास स्थित बाल उद्यान का रखरखाव और सौंदर्यीकरण कार्य नियमित आधार पर किया जाता है। अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों के विकास/उन्नयन को आम तौर पर योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आबंटन और व्यय का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार, स्टेशन-वार या राज्य-वार। झारखंड राज्य तीन क्षेत्रों अर्थात् पूर्व रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत फैला हुआ है। इन क्षेत्रों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत 1,499 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) का आवंटन किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रेल पर सुविधाओं का प्रावधान/उन्नयन और स्टेशनों का विकास एक सतत् और जारी प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकतानुसार किए जाते हैं।
